***के कन्नन जे. के* समक्ष**

कैप्टन. जेजे राम और अन्य,

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य

1989 का सीडब्ल्यूपी नंबर 601

13 मई. 2010

इंडिया का संविधान 1950— अनुच्छेद 2 26—एक व्यक्ति को पूर्ण स्वामी मानते हुए संपत्ति को अधिशेष घोषित किया गया—सिविल कोर्ट ने विवाद में 299 व्यक्तियों की संपत्ति के स्वामित्व की घोषणा की—राज्य को यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए था कि क्या एक व्यक्ति द्वारा उठाए गए विवाद के मद्देनजर संपत्ति का मालिक था। याचिकाकर्ता-आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया गया और उन संपत्तियों के संदर्भ में विवरण प्राप्त करने के लिए मामले को प्रथम प्राधिकारी/निर्धारित प्राधिकारी को भेज दिया गया, जिन पर याचिकाकर्ता दावा करते हैं और अधिशेष घोषित संपत्ति की तुलना करते हैं।

यह माना गया कि जब याचिकाकर्ताओं द्वारा एसडीओ के समक्ष यह दावा किया गया था कि चतर सिंह को पूर्ण मालिक मानते हुए संपत्ति को अधिशेष नहीं माना जा सकता है, तो यह पता लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए था कि क्या उक्त व्यक्ति संपत्ति का मालिक था। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विवाद को ठीक से ध्यान में रखते हुए। तब यह देखा जाना था कि क्या जिस संपत्ति को अधिशेष घोषित किया गया था, वह वह संपत्ति भी थी जिस पर सिविल कोर्ट ने डिक्री पारित की थी, जबकि चतर सिंह खुद एक पक्षकार थे। यदि यह पता चला कि उत्परिवर्तन संख्या 1392 उसी संपत्ति को संदर्भित करता है जो अधिशेष घोषित की गई संपत्ति थी, तो यह केवल यह माना जाएगा कि ऐसी घोषणा वैध नहीं थी और यह स्वामित्व के पक्ष में हस्तांतरण बनाने के लिए काम नहीं करेगी। संपत्ति को अधिशेष घोषित करने के लिए राज्य.

(पैरा 5)

अभिनिर्धारित किया, विवादित आदेशों को रद्द कर दिया गया है और मामले को पहले प्राधिकारी को भेज दिया गया है जो आई लारायना सीलिंग या लैंड आई फोल्डिंग के तहत निर्धारित प्राधिकारी है। कमल को याचिकाकर्ताओं को नोटिस देने के लिए कहा गया है, जो सभी 299 व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के रूप में इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हैं और उन संपत्तियों के संदर्भ में विवरण प्राप्त करते हैं जिन पर वे दावा करते हैं और उस संपत्ति की तुलना करें जिसे राज्य ने अधिशेष घोषित किया था। यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा

जिस संपत्ति पर दावा किया गया है वह वही है

जिस संपत्ति को अधिशेष घोषित किया जाता है तो सभी 299 व्यक्तियों को मालिक मानकर कार्यवाही की जाएगी और अधिशेष या अन्यथा का निर्धारण इसी आधार पर किया जाएगा। यदि याचिकाकर्ता जिन संपत्तियों पर दावा करते हैं, वे उन संपत्तियों के समान नहीं हैं जिन्हें पहले से ही अधिशेष घोषित किया गया है, तो संपत्तियों को अधिशेष मानने की कार्यवाही जो पहले ही समाप्त हो चुकी है, बनी रहेगी।

(पैरा 5)

याचिकाकर्ताओं के लिए सी.बी. गोयल, वकील, और नितिन जैन, वकील और सुश्री राधिका जैन, वकील।

रवि दत्त शर्मा, उप महाधिवक्ता, हरियाणा।

निर्णय:-

के. कन्नन, जे.

1 विवादित कार्यवाही के आधार पर, 1366 कनाल और 4 मरला की सीमा में एक संपत्ति को हरियाणा सीलिंग ऑन **लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1972 के तहत अधिशेष माना गया था,** पूरी संपत्ति को ग्राम पाधा निवासी श्री छत्तर सिंह की संपत्ति माना गया था। निर्धारित प्राधिकारी (उपमंडल अधिकारी, करनाल) द्वारा लिए गए इस निर्णय की समीक्षा के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा खुद को संपत्ति का संयुक्त मालिक होने का दावा करते हुए एक आवेदन दायर किया गया था। 21.01.1972 को विद्वान उप न्यायाधीश, तृतीय श्रेणी, पानीपत के समक्ष 1969 के सिविल सूट नंबर 224 में सिविल कोर्ट की डिक्री में 299 व्यक्तियों पर स्वामित्व प्राप्त करने की घोषणा की गई थी, लेकिन आवेदन को खारिज करते हुए एक आदेश पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि समीक्षा करने की शक्ति नहीं थी. याचिकाकर्ताओं द्वारा आयुक्त, अंबाला डिवीजन के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया गया था, जिन्होंने समीक्षा के लिए आवेदन किया था और पुनरीक्षण भी खारिज कर दिया गया था। वित्तीय आयुक्त, हरियाणा के समक्ष एक और संशोधन भी दायर किया गया था , जिसे भी खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दे रहे हैं कि संपत्ति को छतर सिंह, जो केवल एक सह-मालिक था, को सैंड्स की पूरी सीमा का पूर्ण मालिक मानते हुए अधिशेष घोषित किया गया था, जब सिविल कोर्ट की घोषणा थी कि छतर सिंह केवल एक था 299 व्यक्तियों के साथ सह-मालिक।

2 याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का कहना है कि छतर सिंह 1969 के सिविल सूट संख्या 224 में उप न्यायाधीश, तृतीय श्रेणी, पानीपत के समक्ष पहले

प्रतिवादी थे, जिन्होंने घोषणा की थी कि जो डिक्री 25.06 को पारित की गई थी। 1956 से पहले छत्तर सिंह और 4 अन्य लोगों के कहने पर 299 व्यक्तियों की ओर से प्रतिनिधि क्षमता में थे और इसलिए डिक्री को सभी 299 स्वामियों के लाभ के लिए सुनिश्चित करने वाला समझा जाना चाहिए। इस मुकदमे का फैसला सुनाया गया था और सिविल कोर्ट ने माना था कि संपत्ति उन सभी व्यक्तियों की है जिनकी ओर से पहले मुकदमा दायर किया गया था। इसके बाद, मंगा राम और 4 अन्य ने 1974 में सब जज, प्रथम श्रेणी, पानीपत के समक्ष एक और मुकदमा दायर किया, कि वे गांव पाधा में स्थित खेवट नंबर 413 में शामिल 7475 कनाल और 1 मरला की संपत्ति के मालिक थे। मुकदमा भी 27.10.1986 को खारिज कर दिया गया था, इस तथ्य का संदर्भ देते हुए कि उस मामले में वादी को मालिकों के अधिकार को चुनौती देने से रोक दिया गया था, जिसे पहले के डिक्री दिनांक 21.01.1972 में बरकरार रखा गया था।

3 ऐसा प्रतीत होता है कि छत्तर सिंह, जो वर्ष 1952 में पहले मुकदमे में वादी में से एक थे, ने घोषणा की थी कि वह उस संपूर्ण संपत्ति का मालिक है जिसके आधार पर घोषित करने की कार्यवाही की गई थी। छत क्षेत्र से परे अधिशेष के रूप में संपत्तियां। इस निर्णय की समीक्षा के लिए 299 व्यक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में 5 व्यक्तियों द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था, जिनके पक्ष में उत्परिवर्तन संख्या 1392 स्वीकृत किया गया था। समीक्षा के लिए आवेदन को इस आधार पर खारिज नहीं किया गया था कि जिन संपत्तियों पर याचिकाकर्ता दावा कर रहे थे, वे उनके संयुक्त स्वामित्व में नहीं थीं और संपत्ति पहले के डिक्री द्वारा कवर नहीं की गई थी। दूसरी ओर, प्राधिकरण ने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसके पास समीक्षा करने की कोई शक्ति नहीं है। आयुक्त को दिए गए संशोधन में उन्होंने पाया कि खसरा नंबरों का कोई उल्लेख नहीं था और उन्होंने उस आदेश की पहचान भी नहीं की थी जिसकी समीक्षा करने की मांग की गई थी। एक और संशोधन को भी इसी आधार पर खारिज कर दिया गया।

4 प्रारंभिक प्रश्न के लिए कि केवल एक व्यक्ति को पूर्ण स्वामी मानकर संपत्ति को अधिशेष कैसे घोषित किया गया, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि कोई भी याचिकाकर्ता संपत्ति के स्वामित्व के लिए आग्रह नहीं कर सकता है और न ही क्या वे उस संपत्ति की पहचान करने में सक्षम हैं जिस पर वे दावा कर रहे थे और जिस संपत्ति को अधिशेष घोषित किया गया था। मेरे विचार में, किसी राज्य के लिए यह तर्क देना अजीब है कि याचिकाकर्ताओं ने स्वामित्व का विवरण नहीं दिया है, जबकि राज्य को यह जानना चाहिए कि वह कौन सी संपत्ति है जिसे उन्होंने अधिशेष घोषित किया है और किसे मालिक माना गया है। यदि मुद्दे पर केवल इस दृष्टिकोण से विचार किया जाना था कि कार्यवाही में खसरा नंबरों का उल्लेख नहीं है, जिस पर याचिकाकर्ता दावा कर रहे थे, तो मुझे लगता है

कि अनावश्यक तकनीकीताओं को प्रासंगिक विवरण प्राप्त करने की प्रक्रिया में बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है और उचित निर्णय लें.

5 जब याचिकाकर्ताओं द्वारा एसडीओ के समक्ष यह दावा किया गया कि छत्तर सिंह को पूर्ण स्वामी मानते हुए संपत्ति को अधिशेष नहीं माना जा सकता है, तो यह पता लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए था कि क्या उक्त व्यक्ति संपत्ति का मालिक था। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विवाद को देखते हुए। तब यह देखा जाना था कि क्या जिस संपत्ति को अधिशेष घोषित किया गया था, वह वह संपत्ति भी थी जिस पर सिविल कोर्ट की डिक्री पारित की गई थी, जब चत्तर सिंह खुद पैटी थे। यदि यह पता चला कि उत्परिवर्तन संख्या 1392 उसी संपत्ति को संदर्भित करता है जो अधिशेष घोषित की गई संपत्ति थी, तो यह केवल यह माना जाएगा कि ऐसी घोषणा वैध नहीं थी और यह स्वामित्व के पक्ष में हस्तांतरण बनाने के लिए काम नहीं करेगी। संपत्ति को अधिशेष घोषित करने के लिए राज्य . विवादित आदेशों को रद्द कर दिया गया है और मामले को पहले प्राधिकारी को भेज दिया गया है, जो याचिकाकर्ताओं को नोटिस देने के लिए हरियाणा लैंड होल्डिंग्स सीलिंग, करनाल के तहत निर्धारित प्राधिकारी है, जो सभी 299 व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के रूप में इस न्यायालय के समक्ष हैं और पूछताछ कर रहे हैं। उन संपत्तियों के संदर्भ में विवरण जिन पर वे दावा करते हैं और उस संपत्ति की तुलना करते हैं जिसे राज्य ने अधिशेष घोषित किया था। यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई संपत्ति वही संपत्ति है जिसे अधिशेष घोषित किया गया है, तो सभी 299 व्यक्तियों को मालिक मानकर कार्यवाही की जाएगी और अधिशेष या अन्यथा का निर्धारण इस आधार पर किया जाएगा। . यदि याचिकाकर्ता जिन संपत्तियों पर दावा करते हैं, वे उन संपत्तियों के समान नहीं हैं जिन्हें पहले से ही अधिशेष घोषित किया गया है, तो संपत्तियों को अधिशेष मानने की कार्यवाही जो पहले ही समाप्त हो चुकी है, बनी रहेगी। इसलिए, अंतिम निर्णय उन संपत्तियों के मूल्यांकन से होगा जिन्हें अधिशेष माना जाता है और वह संपत्ति जिस पर सिविल कोर्ट के डिक्री के आधार पर उत्परिवर्तन संख्या 1392 का आदेश दिया गया है। राज्य के लिए यह तर्क देना उपयोगी नहीं होगा कि सिविल कोर्ट की डिक्री बाध्य नहीं होगी, क्योंकि, यदि संपत्ति किसी विशेष व्यक्ति से अर्जित की गई है, तो संपत्ति को उसकी संपत्ति के रूप में माना जाता है और यदि यह देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति स्वयं एक पक्ष था। सिविल कोर्ट की कार्यवाही, विशेष स्वामित्व का दावा नहीं कर रही है, लेकिन उसने केवल सभी 299 व्यक्तियों की ओर से एक अधिकार का दावा करने की मांग की है, फिर सिविल कार्यवाही में उसका स्वयं का आचरण अभी भी राज्य को बाध्य करता है और राज्य के लिए स्वामित्व का स्रोत भी है। वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध कार्यवाही लंबित है। यह स्पष्टीकरण के माध्यम से है, ताकि इस आदेश के माध्यम से सुलझाए गए मुद्दे को फिर से खोलने का कोई अनावश्यक प्रयास न हो।

6 विवादित कार्यवाही को रद्द किया जाता है और उपरोक्त शर्तों पर रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। आरएमएस याचिका स्वीकार की गई।

R.N.R.

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नीतिका बांसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा